

FROM No.III

फॉर्म अहकाम
(नियम 26)

अज्ञ अदालत साहायक कलक्टर (SDO) मुकाम.....

बायत
मानाराम बनाम प्रधानादशापड राउण्डपाणवि हेमाजी सहस्री
ही ठानी वगैरे वगैरे

किस्म मुकदमा रा० श०के 111,128 RUAET नं. 66/19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/02/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>धमंडाराम तारव</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111,128 RUAET</u> राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>18/02/2019</u> को पेश हो	
18/02/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/वादी के नोटिस तामिल हुआ जल जिते वगैरे पत्रावली सीमा गन्ना। सीमान पीठानी अधिकारी जयपुर सिटि के पत्र हुए थे जल; सिवाल इल्लव टोडर आगामी दिनांक 26/02/19 को पेश हो	
26/02/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/वादी वापस तामिल अनुपस्थित। सीमान पीठानी अधिकारी वाड टोडर सीमा प्रार्थी के तामिल होने लें सिवाल इल्लव टोडर आगामी दिनांक 27/03/19 को पेश हो	

27/03/19

पार्थी वहील उपस्थित। विपार्थीगण वाकजुड
तामिल अनुउपस्थित। बीमान पीठामीन अधिदारी
डिगर डायरी में व्याख्य होने से मिलाव ईलवा
दोडर आगामी दिनांक 28/05/19 को पेक्षा हो।

28/05/19

पार्थी वहील उपस्थित। विपार्थीगण वाकजुड
तामिल अनुउपस्थित। न्यायालय समय तीन बार
आवाज लगाई गई, संमिल्य आवाज 5.45 PM
पर लगाई गई, विपार्थीगण स्वयं या उनकी ओर
से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा
उनके विरुद्ध एडवोकेट डायरीवादी अथवा नै लाई
जाली है। पार्थी के अधिवक्ता की एडवोकेट
बदल सुनी गई, पार्थी के अधिवक्ता ने बतया
की पार्थी को अपने व्यावहारिक व्यक्तों के चारों ओर
पक्के नियम स्थापित करवाने आवश्यक है। इसलिए
पार्थी को नियमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर
नियमबन्दी काटेका किया जावे।

अतः पार्थी को नियमबन्दी आवेदन
स्वीकार किया जाकर तहसीलदार वाकजुड को डमिशनर
नियुक्त किया जाता है व काटेका दिया जाता है। वि
आप स्वयं या अपने अधिनस्थ कीवी भी अधिवक्ता
निरिक्षु से पार्थी के व्यावहारिक व्यक्तों की पक्की नियम-
बन्दी माँगे पर कृपया जमाडराडर करें, पालना रिपोर्ट
उपलब्ध होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली केमल
वुमाद होकर डज नम्बर ले डय हो, शामिल डमल हो।



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2019/.....235

दिनांक:- 28/05/2019

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. मानाराम पुत्र धन्नाराम जाति जाट
निवासी हेमोगियो की ढाणी ग्राम पंचायत
बाटाडू तहसील बायतु जिला बाड़मेर

1. प्रधानाध्यापक राउप्रावि हेमोगियो की ढाणी
वगैरा 16 ग्राम पंचायत बाटाडू
तहसील बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 66/19

आदेश

मौजा ग्राम हेमोगियो का तला पटवार हल्का बाटाडू तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 1589/1408 रकबा 49.01 बीघा की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने किसी अधिनस्थ भू.अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबन्दी मौके पर कमीश्नर शुल्क जमा करा कर करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक/वाद/2019/.....236 to 240

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी बाटाडू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
3. प्रार्थी मानाराम पुत्र धन्नाराम वगैरा
4. विप्रार्थीगण प्रधानाध्यापक राउप्रावि हेमोगियो की ढाणी वगैरा
5. थानाधिकारी पुलिस थाना गिड़ा

सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु

दिनांक: 28/05/2019

सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु